नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम - रघुनाथपुर

विकासखंड - जलालाबाद

जनपद - शाहजहाँपुर

राज्य -उत्तरप्रदेश

सम्पादन

डॉ० रूचि बडोला
डॉ० एस० ए० हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा

हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन

मुकेश देवराड़ी

पवन कटियार

टाइप सैटिंग

मानसी बिजल्वाण

डिजाइन

शताक्षि शर्मा

फोटो क्रेडिट

एन०एम०सी०जी टीम

सम्पादकीय पता

भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी
देहरादून – 248001
उत्तराखंड, भारत
टेलिफोन संख्या – 0135 2640114-15, 2646100
फैक्स नं० – 0135.2640117
ई–मेल : ruchi@wii.gov.in

वर्ष – 2022

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम पंचायत	रघुनाथपुर
विकासखंड	जलालाबाद
जनपद	शाहजहाँपुर
राज्य	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	20,85,000.00
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2022

विषय - वस्तु

परिचय
सहमति पत्र
भाग - **1** प्रस्तावना 01
भाग - **2** ग्राम पंचायत का विवरण 03
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण 03
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक 03
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया 03
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण 03
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय 04
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति 04
2.7 कृषि एवं पशुपालन 04
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण एवं स्वच्छता 04
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति 04
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण 05
2.11 समुदाय की रामगंगा नदी पर निर्भरता 05
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी 05
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण 05
भाग - **3** कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders) 06
3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक 06
भाग - **4** समस्या विश्लेषण 08
4.1 समस्या विश्लेषण 08
भाग - **5** नियोजन का उद्देश्य 10
भाग - **6** प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति तथा समन्वयन 12
6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ 12
6.2 समुदाय आधारित संस्थानों का सुदृढ़ीकरण 12
6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ 12
6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ 13

विषय - वस्तु

6.5 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ	13
6.6 पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ	13
6.7 जैव विविधता संबंधी गतिविधियाँ	14
6.8 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	14
भाग - 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	16
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	16
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	17
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	18
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	19
7.5 विवाद का निपटारा	19
7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव	19
7.7 सफलता के सूचक	20
अनुलग्नक	21
1 समझौता ज्ञापन	21
2 सामाजिक मानचित्र	22
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	23
फोटो गैलरी	25

Raghunath Pur
Image © 2023 Airbus
Image © 2023 Maxar Technologies

मानचित्र

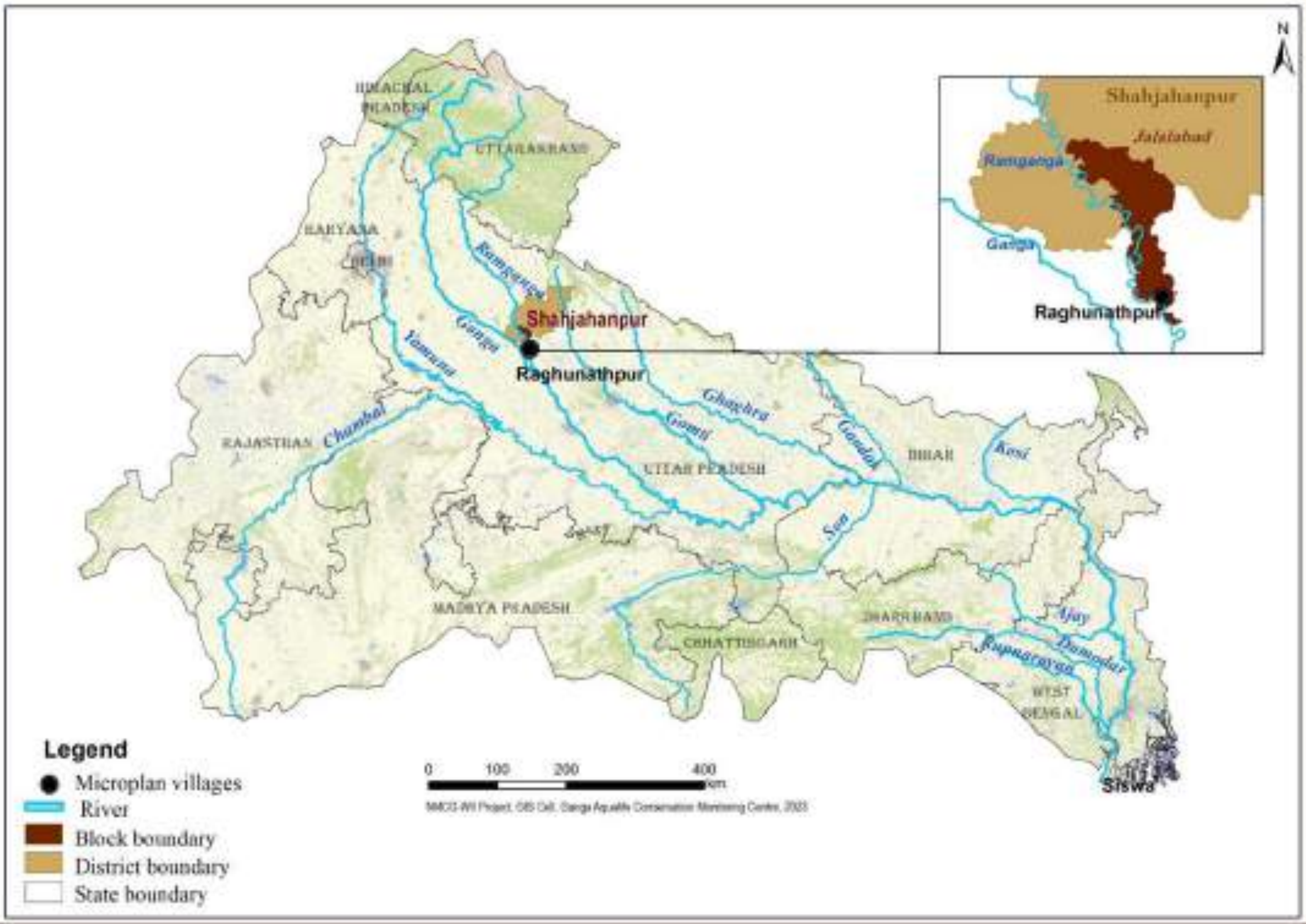

रघुनाथपुर

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनर्रूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा की सहायक नदियों में किया जा रहा है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित **(Decentralised)**, सतत **(Sustainable)** एवं सहभागी **(Participatory)** बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे **(Top to bottom)** न होकर नीचे से ऊपर **(Bottom to top)** की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर

विकास खण्ड-जलालाबाद, जिला-शाहजहाँपुर

ध्यान पाल सिंह

ग्राम प्रधान

Mob : 9793788176

आवास /कार्यालय-

ग्राम रघुनाथपुर,

वि.ख. जलालाबाद

शाहजहाँपुर, उ0प्र0

पत्रांक :- 5२ दिनांक 16-10-२०२२

भारतीय वन्य जीव संस्थान के तत्वाधान मे चल रहे जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत रघुनाथपुर, विकास खंड जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर (उ0प्र0) में विभिन्न बैठकों,कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। समुदाय के साथ निरंतर चर्चा के उपरान्त रामगंगा एवं उसके आस पास की जैव विविधता के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय सूक्ष्म योजना तैयार की गयी है इस योजना पर समुदायिक बैठक मे चर्चा करने के उपरान्त समुदाय द्वारा इस पर सहमति प्रदान की गयी है।

ग्राम पंचायत मे इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार हैं ।

प्रधान

ग्राम पंचायत-रघुनाथपुर

वि०ख०-जलालाबाद (शाह०)

रघुनाथपुर

भाग - 1 प्रस्तावना

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	रघुनाथपुर
अवस्थिति	अक्षांश 27˚30’21.3” एवं देशान्तर 79˚42’38.0”
विकासखंड	जलालाबाद
जिला	शाहजहाँपुर
राज्य	उत्तरप्रदेश
जिला मुख्यालय शाहजहाँपुर से दूरी	55 कि०मी०
तहसील मुख्यालय जलालाबाद से दूरी	25 कि०मी०
रामगंगा नदी से दूरी	1 किमी०
कुल जनसंख्या	1976
कुल परिवार	410
मुख्य जातियां	सामान्य जाति, अनुसुचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग।
मुख्य समस्याएं	• जागरूकता की कमी, • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, • सिंचाई के लिये भूजल का दोहन • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना, • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ व सक्रिय न होना • आजीविका के विकल्पों की कमी
प्रस्तावित गतिविधियाँ	• सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ • स्वच्छता संबंधी गतिविधियां • कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ • पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ • जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ

भाग -2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण :-

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर रामगंगा नदी के बायें तट पर नदी से **1** किमी॰ की दूरी पर स्थित है। गंगा नदी से इसकी दूरी **18** कि॰मी॰ है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहाँपुर जिले के जलालाबाद विकासखंड में स्थित है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी **55** कि॰मी॰ एवं राजधानी लखनऊ से **188** कि॰मी॰ है। रघुनाथपुर का पिनकोड **242220** है। गांव का मुख्य मार्ग हरदोई लिंक रोड से जुड़ा है और इसके बायीं ओर इटावा-बरेली हाइवे है। यह गांव दो जनपदों फर्रूखाबाद और हरदोई की सीमा पर बसा हुआ है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग **50.05** हैक्टेयर है। ग्राम पंचायत रघुनाथपुर की कुल जनसंख्या **1976** है। यहाँ पर लगभग **410** परिवार निवास करते हैं।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक -

यह ग्राम पंचायत रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। गाँव में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति,और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार निवास करते हैं। गाँव में कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ेदान लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत से लगभग **1** किलोमीटर की दूरी पर रामगंगा नदी बहती है। जहाँ जैवविविधता काफी मात्रा में पायी जाती है। जिनमें कछुए, घड़ियाल एवं विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं। लोगों की रामगंगा नदी पर निर्भरता आस्था के साथ-साथ कृषि, पशुपालन एवं निर्माण कार्यों के लिये रेत बजरी के लिये है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित होने और यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति होने के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया -

नमामि गंगे के अन्तर्गत चिन्हित गाँवों की सूची के अनुसार विकासखंड स्तर से प्राप्त करने के बाद ग्रामभ्रमण करने, ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामवासियों से चर्चा करने के उपरान्त रामगंगा किनारे स्थित इस ग्राम का चयन कार्यक्रम हेतु किया गया। जनसमुदाय को नदी में पाये जाने वाली जलीय जीवों की प्रजाति के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम समुदाय के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत की स्थिति को जाना गया व ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताकर कार्यक्रम में शामिल करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण -

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में कुल **410** परिवार निवास करते हैं, ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या **1976** है, जिसमें **1017** पुरूष और **959** महिलाएं हैं। **2011** की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पुरूषों की साक्षरता दर **58.15** प्रतिशत है। ग्राम पंचायत में महिलाओं की साक्षरता दर **27.1** है।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय -

जलालाबाद विकासखण्ड के रघुनाथपुर में रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति मध्यमवर्गीय है। **410** परिवारों में से **180** परिवार प्राथमिक रूप से कृषि करते हैं जिसमें से **120** परिवार कृषि के साथ ही पशुपालन भी करते हैं। **20** परिवार स्वरोजगार, **20** परिवार के सदस्य सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी में है। **50** परिवार नदी किनारे पालिज की खेती भी करते हैं व लगभग **170** परिवार अन्य मौसमी कार्यों के साथ ही कृषि मजदूरी करते हैं। ग्राम पंचायत में काफी परिवारों की वार्षिक आय एक लाख से कम है। ग्राम पंचायत में आय के द्वितीयक स्रोत पशुपालन, मजदूरी, आटो चालन, अन्य मजदूरी आदि हैं।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति -

ग्राम पंचायत में **17** ट्यूबवैल एवं **32** हैंडपंप बने हैं। जिससे सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की पेयजल व्यवस्था संचालित होती है। ग्राम पंचायत में कुल **382** शौचालय निर्मित है ।जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं है उनके लिये सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। ग्राम में शौचालय रहित परिवारों की संख्या **28** है, जो शौच हेतु सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करते हैं। रघुनाथपुर पूर्णतः खुले में शौच मुक्त गाँव बन गया है। गाँव में **95** प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाता है। गाँव में कूड़ा निस्तारण डम्पिंग के द्वारा किया जाता है। कूड़ा एकत्रीकरण के लिये ग्राम पंचायत में **30** कूड़ेदान लगाये गये हैं, जहाँ सभी परिवारों के द्वारा अपना कूड़ा निस्तारित किया जाता हैं।

2.7 कृषि एवं पशुपालन -

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ पर कुल **150** परिवारों के पास अपनी कृषि भूमि है। लगभग **1100** बीघा भूमि पर कृषि की जाती है। गाँव में गेहूँ, गन्ना, आलू, सरसों, मक्का आदि फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। नदी किनारे की **400** बीघा भूमि पर गेहूँ और मौसमी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। **300** परिवार पशुपालन व कृषि करते हैं। पशुओं में गाय, भैंस, बकरी आदि का पालन किया जाता है। फसलों का कीटों से बचाव करने हेतु **24/D**, कोराजीन, फॉरटोन आदि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। फसल अच्छी हो इसके लिए यूरिया, डी०ए०पी०, पोटाश आदि का प्रयोग भी किया जाता है।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण -

रघुनाथपुर में मौसम गर्म तथा आर्द्रता **46** प्रतिशत रहता है, ग्राम फर्रूखाबाद जनपद की सीमा पर बसा हुआ है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा **48.08** मि०मी० तक होती है। सिंचाई व पेयजल हेतु मुख्य स्रोत रामगंगा नदी का पानी है। सिंचाई के लिये एक सरकारी ट्यूबबैल हैं, और किसानों द्वारा **150** निजी सबमर्सिबल पंप लगाये गये हैं।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता -

ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों से आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। मुख्य सड़क से गाँव तक पहुंचने के लिये

ऑटो, बाईक, स्कूटर, बस आदि साधन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व डाकघर गाँव के अंदर ही स्थित है। गाँव से बस स्टेशन की दूरी **2** किमी० और रेलवे स्टेशन की दूरी **25** किमी० है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण -

यहाँ पर रामगंगा नदी की जैवविविधता में घड़ियाल, मछलियां, कछुये, साँप, मेंढ़क, आदि जलीय जीव तथा प्रवासी पक्षी पाये जाते हैं। आजीविका हेतु यहाँ के लोगों की सिंचाई के लिये जल के अतिरिक्त नदी पर प्रत्यक्ष निर्भरता बहुत कम है। वानस्पतिक जैवविविधता में यहाँ पर बाँस, आम, जामुन, नीम, पीपल, कटहल आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

2.11 समुदाय की रामगंगा नदी पर निर्भरता -

रघुनाथपुर से **1** किलोमीटर दूर रामगंगा नदी के तट पर पालिज की खेती करने वाले परिवारें की नदी पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता है व सामान्य खेती के लिये भी जल नदी से ही लिया जाता है। सभी परिवार की धार्मिक व आध्यात्मिक रूप से नदी से सम्बद्ध हैं। पशुपालन करने वाले परिवार नदी के आसपास से पशुओं के लिये चारा एकत्र करते हैं। समुदाय निर्माण कार्यों के लिये कुछ मात्रा में रेत व बालू नदी से ही प्राप्त करता है।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे / पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी -

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में ग्राम स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) गठित है परंतु सक्रिय नहीं है।। पूर्व में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था के द्वारा जैवविविधता से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया गया है। केवल समय-समय पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

समुदाय आधारित संस्थाओं की संख्या एवं जो संस्थायें गठित हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	एन०आर०एल०एम०ए ग्राम विकास पिभाग	स्वंय सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	55	आजीविका गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता
3	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	3 आंगनबाड़ी केन्द्र	75 बच्चे व 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
4	स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छता समिति	समुदाय को ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करना	380	
5.	मनरेगा	ग्रामीण विकास समिति	100 दिन का निश्चित रोजगार	170	

भाग -3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्रामीण समुदाय, पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व रामगंगा नदी की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया-

- स्थानीय समुदाय
- किसान
- विद्यालयों के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- जैव विविधता प्रबन्धन समिति
- स्वयं सहायता समूह के सदस्य
- आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण- राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग।
- केन्द्रीय मंत्रालय - जलशक्ति मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

रामगंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। रामगंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्संबंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र रामगंगा की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्षा रहा है। रामगंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितियक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निभरता को समझाने एवं रामगंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

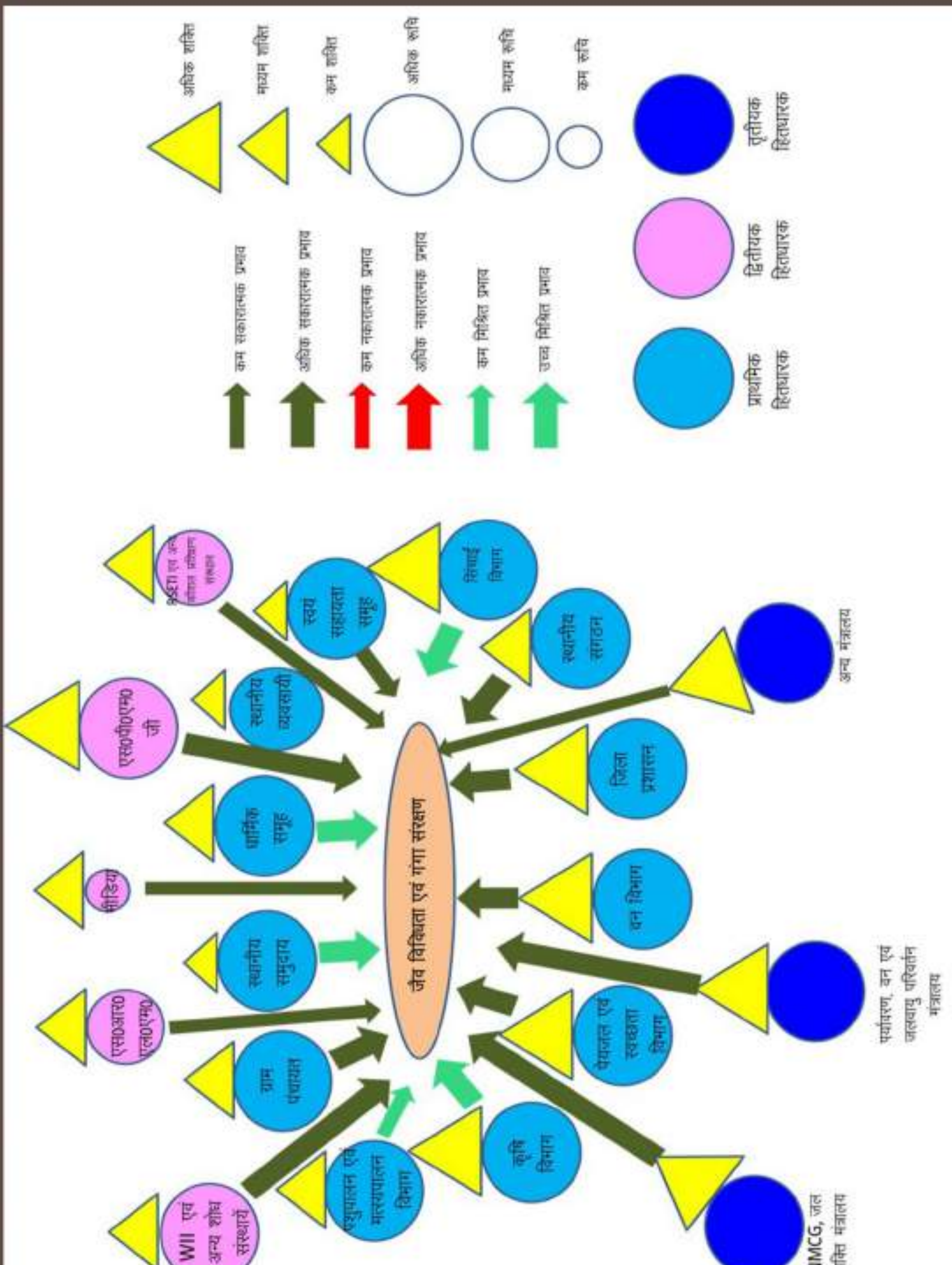

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग -4 समस्या विश्लेषण

4.1 समस्या विश्लेषण-

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि है यहाँ पर समुदाय द्वारा एक बड़े भूभाग पर खेती की जाती है। जिसमें गेहूँ, गन्ना, आलू, सरसों, मक्का आदि फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इन फसलों की सिंचाई के लिये मुख्य रूप समुदाय नदी के जल पर निर्भर है। सिंचाई के लिये नदी के जल का बड़ी मात्रा में दोहन किया जाता है। जिसके कारण भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। साथ ही अधिक उपज प्राप्त करने के लिये ग्रामीणों के द्वारा कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। जो जल एवं जलीय जैवविविधता के लिये संकट का एक प्रमुख कारक है।
रघुनाथपुर के **50** परिवारों के द्वारा नदी के किनारे के एक बड़े भाग पर मौसमी (पालिज) खेती की जाती है, वर्ष में केवल **3** से **4** महीने होने वाली खेती से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये समुदाय द्वारा बड़ी मात्रा में कीटनाशकों एवं रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जिन के उपयोग से रामगंगा नदी की जैवविविधता को नुकसान पहुँच रहा है। लगातार पालिज की खेती करने से कछुओं के प्रजनन व निवास स्थल को भी नुकसान पहुँचा है।

नदी किनारे से पशुओं का चारे, हेतु घास लायी जाती है, जिससे जलीय जीवों के निवास स्थल तथा प्रजनन क्षेत्र को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे कि रामगंगा नदी की जैवविविधता का क्षरण होता जा रहा है।
ग्राम समुदाय की नदी पर प्रत्यक्ष निर्भरता सिंचाई के लिये जल के लिये ही है इस क्षेत्र में मछुआरा समुदाय की उपस्थिति नही है परंतु धार्मिक तौर पर नदी से आस्था जुड़ी होने के कारण लोग पूजा सामग्री, प्लास्टिक बैग, वस्त्र आदि को नदी में ही विसर्जित कर देते हैं।

जलीय जीवों की उपस्थिति और उनके महत्व के बारे में समुदाय को कोई जानकारी नही है और न ही इनके संरक्षण से संबंधी कोई गतिविधि वहाँ पर किसी विभाग/कार्यक्रम द्वारा की गई है।

समस्या वृक्ष

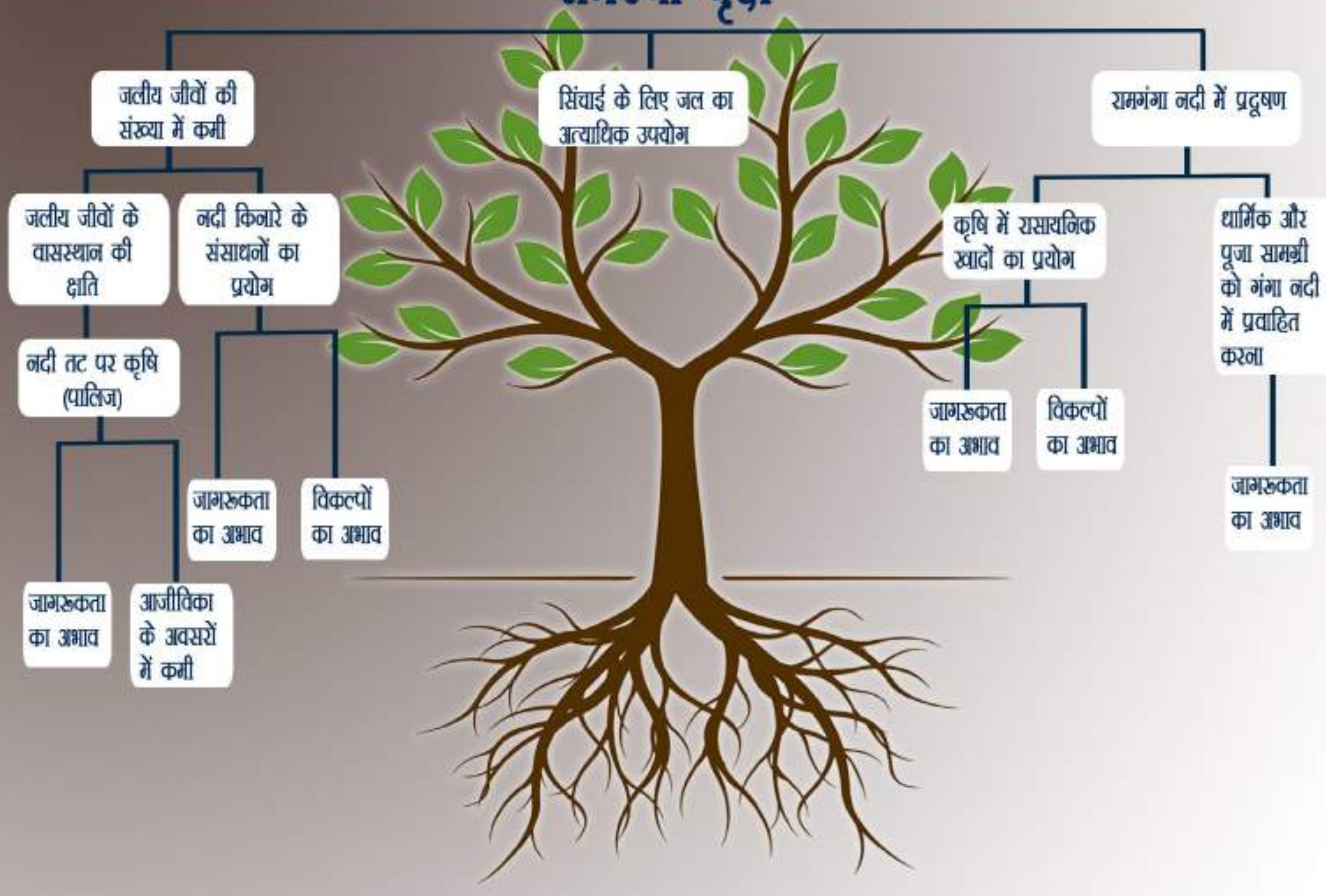

जलीय जीवों की संख्या में कमी
सिंचाई के लिए जल का अत्याधिक उपयोग
रामगंगा नदी में प्रदूषण
जलीय जीवों के वासस्थान की क्षति
नदी किनारे के संसाधनों का प्रयोग
कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग
धार्मिक और पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित करना
नदी तट पर कृषि (पालिज)
जागरूकता का अभाव
विकल्पों का अभाव
जागरूकता का अभाव
विकल्पों का अभाव
जागरूकता का अभाव
जागरूकता का अभाव
आजीविका के अवसरों में कमी

भाग – 5 नियोजन का उद्‌देश्य

नियोजन का मुख्य उद्‌देश्य रामगंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्‌देश्य –

रामगंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्‌देश्य –

- ग्राम में कृषि में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक खादों व कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिये प्रयास करना।
- रामगंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।

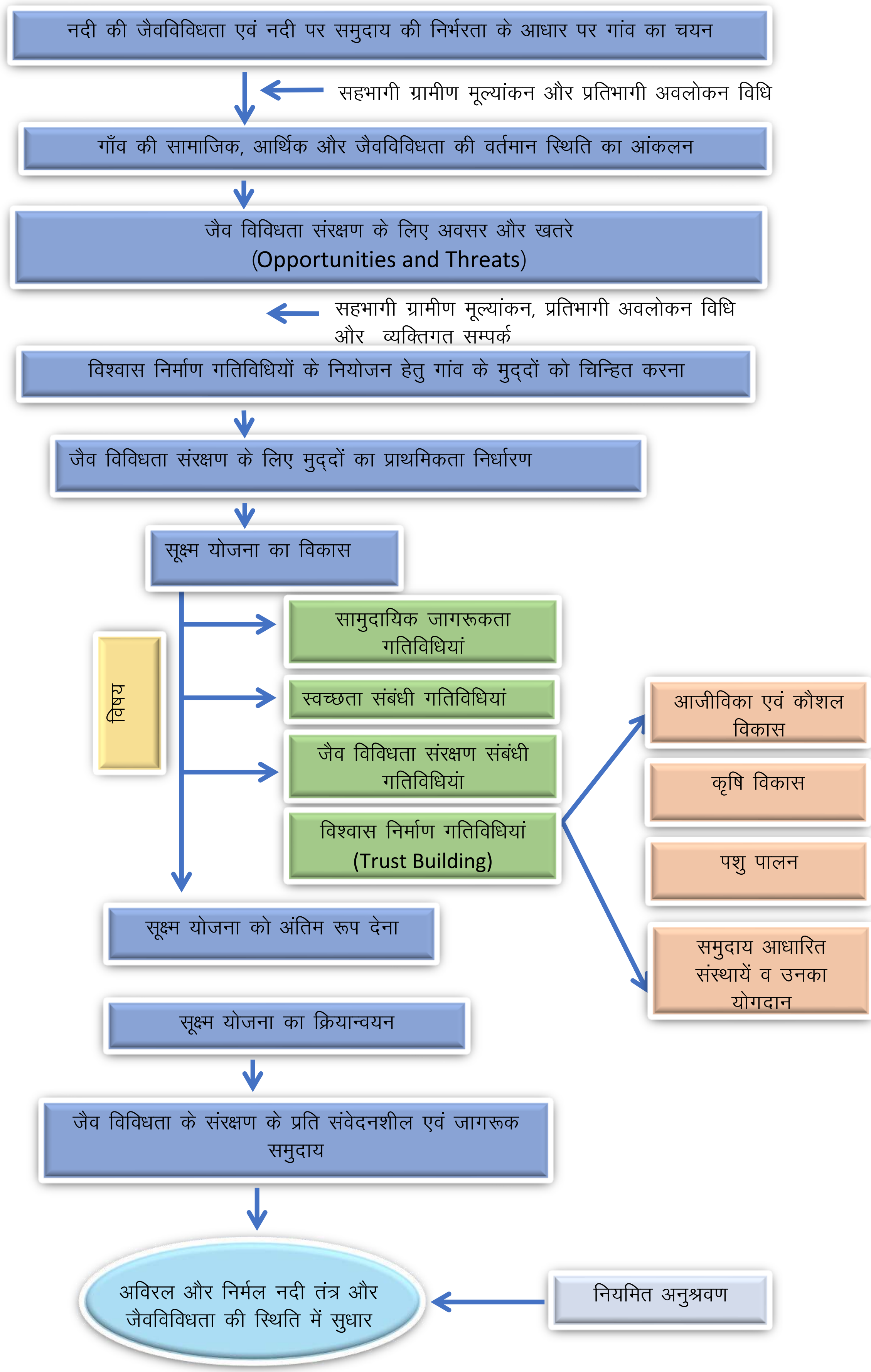

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग - 6 प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ-

ग्राम रघुनाथपुर में जैवविविधता संबंधी मुख्य समस्या कृषि में रासायनिक खादों कीटनाशकों का प्रयोग एवं नदी तट पर कृषि है। इससे संबंधित निम्न जागरूकता संबंधी गतिविधियां समुदाय में की जायेंगी।

- रासायनिक खादों के मानव एवं जलीय जीवों पर होने वाले प्रभावों पर बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से चर्चा।
- जैविक खेती हेतु जागरूक करना एवं जैविक खाद के लाभ पर जागरूकता।
- जलीय जीवों के महत्व के बारे में समुदाय को जानकारी प्रदान करना।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग के माध्यम से समुदाय तक पहुँचाना।
- खेती के लिये अत्यधिक जल के दोहन के परिणामों पर समुदाय से चर्चा व गोष्ठी।
- पारम्परिक फसलों जैसे मिलेट्स के संबंध में जागरूकता गोष्ठियां।

ज

6.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण-

रघुनाथपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत **7** स्वंय सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें **55** महिलायें सदस्य हैं। इन समूहों की बैठकों के दौरान महिलाओं से जलीय जैव विविधता के महत्व पर चर्चा करने और रासायनिक खादों के प्रभावों के बारे में चर्चा की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति भी गठित है परंतु सक्रिय नहीं है। वन विभाग के सहयोग से जैव विविधता समिति के साथ बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। समिति को सक्रिय कर जागरूकता कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। समिति के सदस्यों को जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास संबंधी कार्यों में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

गंगा प्रहरियों के कैडर को स्थापित कर जैवविविधता संबंधी जागरूकता एवं बचाव कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये सक्रिय समूह तैयार किया जायेगा।

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ -

रघुनाथपुर में अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तथा मौसमी रोजगार करते हैं, जिसमें मजदूरी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पालिज की खेती करने वाले परिवारों को आजीविका एवं कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़े जाने की आवश्यकता है, साथ ही उनमें ऐसे कौशल का विकास किया जाये, जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो।

कौशल विकास से संबंधित विभागों एवं कार्यक्रमों से समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण दिलवाने का प्रयास किया जायेगा जिससे युवाओं में रोजगार के नये अवसरों की पहचान करने तथा कार्य करने की रुचि जागृत हो। आजीविका तथा कौशल विकास हेतु पंचायत स्तर पर निम्न गतिविधियां की जायेंगी-

- o बैठकों व कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
- o समूह सदस्यों को आजीविका संबंधी गतिविधियों को शुरू करने के लिये प्रेरित करना।
- o युवाओं के लिये ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन, मोटर बाइंडिंग, बैग मेंकिग आदि प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ -

रघुनाथपुर में शौचालय के उपयोग हेतु **382** परिवारों द्वारा स्वयं के द्वारा शौचालय बनाये गये हैं। व स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित एक सामुदायिक शौचालय भी है। स्वच्छता निगरानी समिति के द्वारा जागरुकता अभियान आयोजित किये गये, जिसके बाद समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन भी देखा गया। ग्राम में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने हेतु निम्न गतिविधियाँ की जानी हैं -

- कूड़े के उचित निस्तारण के बारे में समुदाय को जागरूक करना एवं समय-समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।
- जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना एवं अपने स्तर पर जैविक एवं अजैविक कूड़े के पृथक्करण एवं उसके निपटान के लिये प्रेरित करना।
- गंगा प्रहरियों के द्वारा नदी किनारे स्वच्छता अभियान एवं पौधा रोपण समुदाय के सहयोग से किया जायेगा।

6.5 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां -

- रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता करने के साथ ही किसानों को जैविक कृषि अपनाने व जैविक खाद व कीटनाशकों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जल रहे प्राकृतिक व जैविक कृषि अभियान में गांव को प्राथमिकता से शामिल करते हुये यहाँ पर लगातार प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन फार्म बनाया जा सकता है।
- पालिज की खेती करने वाले किसानों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व अन्य रोजगारपरक कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। नियमित रोजगार मिलने से मौसमी रोजगार करने की प्रवृति में कमी आयेगी।
- जैविक खेती में आने वाली लागत को कम करने तथा जैविक खाद और कीटनाशकों को अपनाने के लिये समुदाय को विभाग के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा सकता (सब्सिडी, प्रोत्साहन राशि आदि) है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत भी वैकल्पिक आजीविका के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा सकता है।

6.6 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां -

रघुनाथपुर में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग **120** परिवारों के पास पशु हैं जिनके लिये खेतों, जंगलों व नदी के किनारे से चारे की व्यवस्था की जाती है। जैविक

खाद को बढ़ावा देने के लिये पशुपालन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है जिसके लिये पशुओं की उन्नत नस्ल तथा चारे की उचित व्यवस्था आवश्यक है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बायफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी के साथ ही सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा सकती है। पशु टीकाकरण एवं बीमा जैसी योजनाओं के द्वारा पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चारे की लगातार उपलब्धता और बाजार पर निर्भरता कम करने के लिये खेतों के मेढ़ों पर चारा घास तथा चारा पत्ती वाले पेड़ों को रोपण किया जा सकता है।

6.7 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां-

रामगंगा नदी की स्वच्छता में जलीय जीवों के द्वारा दिये जाने वाले योगदान को बताते हुये समुदाय को रामगंगा नदी एवं उसके आसपास की जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रेरित किया जायेगा। गंगा प्रहरियों के माध्यम से नदी व उसके आसपास स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की जायेंगी

- जैव विविधता समिति को सक्रिय करना। वन विभाग के सहयोग से समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक तंत्र को तैयार करना।
- जैविक खाद एवं कीटनाशक बनाने के लिये प्रशिक्षणों का आयोजन।
- ग्राम पंचायत में नदी के किनारे, सार्वजनिक स्थलों और खेतों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु कार्य करना। जिससे चारे की व्यवस्था के साथ ही मिट्टी और वर्षा जल के संरक्षण में योगदान होगा।
- वैकल्पिक आजीविका विकास के लिये कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन और तैयार उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध कराना। इसमें कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित कार्यक्रमों संस्थानों का सहयोग लिया जा सकता है।

6.8 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन-

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	गतिविधि	विभाग
1.	जैविक एंव प्राकृतिक कृषि	कृषि विभाग एवं कृषि विकास केन्द्र
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण।	वन विभाग
3.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान वाराणसी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री

		कौशल विकास कार्यक्रम, **NGO,** खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	पशुपालन विभाग, बाएफ, उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग - 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं०	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1-	रासायनिक खादों के मानव एवं जलीय जीवों पर होने वाले प्रभावों पर बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से चर्चा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	जैविक खेती हेतु जागरूक करना एवं जैविक खाद के लाभ पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
3	जलीय जीवों के महत्व के बारे में समुदाय को जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
4	जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी संबंधित विभाग के माध्यम से समुदाय तक पहुँचाना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
5	खेती के लिये अत्यधिक जल के दोहन के परिणामें पर समुदाय से चर्चा व गोष्ठी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	पारम्परिक फसलों जैसे मिलेट्स के संबंध में जागरूकता गोष्ठियां	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	गंगा प्रहरियों के कैडर को स्थापित कर जैवविविधता संबंधी जागरूकता एवं बचाव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	जैवविविधता प्रबन्धन समिति को सक्रिय करना	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
9	समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने और प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
10	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य । विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
11	बैठकों व कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कृषि एवं पशुपालन संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
12	कूड़े के उचित निस्तारण के बारे में समुदाय को जागरूक करना एवं समय-समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना एवं अपने स्तर पर जैविक एवं अजैविक कूड़े के पृथक्करण एवं उसके निपटान के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

14	गंगा प्रहरियों के द्वारा नदी किनारे स्वच्छता अभियान एवं पौधा रोपण समुदाय के सहयोग से किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	जैविक खाद व कीटनाशकों के निर्माण का प्रशिक्षण	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
16	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बायफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
17	सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
18	चारे हेतु खेतों के मेढ़ों पर चारा घास तथा चारा पत्ती वाले पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
19	जैव विविधता समिति को सक्रिय करना। वन विभाग के सहयोग से समिति के सदस्यों के लिये प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
20	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक तंत्र को तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
21	वैकल्पिक आजीविका विकास के लिये कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन और तैयार उत्पादों के लिये बाजार उपलब्ध कराना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवष्यकता एवं बजट-

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने और क्रियान्वित करने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट रघुनाथपुर				
क्रम सं०	**गतिविधि**	**संख्या**	**दर**	**कुल राशि**
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	रासायनिक खादों के मानव एवं जलीय जीवों पर होने वाले प्रभावों पर बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से चर्चा।	**10**	**10000**	**100000**
ii	जागरूकता रैली	**4**	**10000**	**40000**
iii	दीवार लेखन	**50**	**500**	**25000**
iv	महत्वपूर्ण स्थानों पर जागरूकता सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	**4**	**10000**	**40000**
				205000
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			

i	समूह के सदस्यों और जैव विविधता समिति के लिये प्रशिक्षण का आयोजन।	2	20000	40000
ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	150000	600000
iii	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	1	50000	50000
iv	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
v	उन्नत एवं प्राकृतिक कृषि की तकनीको ंपर प्रशिक्षण	1	50000	50000
vi	जैविक खाद व कीटनाशकों के निर्माण का प्रशिक्षण	1	50000	50000
				890000
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
i	प्रदर्शन जैविक कृषि फार्म	1	100000	100000
ii	कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन (Demonstration)	1	50000	50000
iii	पशु टीकाकरण शिविर का आयोजन	1	20000	20000
iv	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन	10	2000	20000
v	नदी किनारे व सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण			50000
				240000
4	**मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (5 वर्ष)	1	10000	600000
ii	यात्रा व्यय			150000
				750000
			कुल (1+2+3+4)	2085000

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन-

उपरोक्त कार्ययोजना का समय-समय पर अनुश्रवण क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समुदाय आधारित संस्थाओं व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स का भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व-

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगें -

एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्य जीव संस्थान

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरूक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय-समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन।

7.5 विवाद का निपटारा-

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव-

रिकार्ड्स के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- रामगंगा नदी की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण

- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज

7.7 सफलता के सूचक-

1. रामगंगा नदी में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग **(cadre)** तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और रामगंगा नदी के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. समुदाय द्वारा जैविक और प्राकृतिक कृषि को अपनाया जा रहा है।
4. नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं। और प्रतिभागियों द्वारा उन कौशलों का उपयोग किया जा रहा है।
5. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
6. समुदाय जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
7. आजीविका अवसरों में वृद्धि।
8. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को नदी के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

अनुलग्नक - 1
समझौता ज्ञापन

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैवविविधता और गंगा संरक्षण" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ....[illegible].... ग्राम पंचायत, जिला [illegible] राज्य [illegible] और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 16 / 10 / 2022 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा व उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी कैडर का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के निवासियों के लिए स्थान–विशेष, दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी पक्ष इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से	पंचायत की ओर से
हस्ताक्षर: [illegible]	हस्ताक्षर: [illegible]
नाम: Dr. Ruchi Badola	नाम: [illegible]
पद: Nodal Officer, Wildlife Institute of India, National Mission for Clean Ganga, Dehradun, Uttarakhand	पद: [illegible]
दिनांक:	दिनांक: 16/10/2022

प्रधान
श्यामपाल
ग्राम पंचायत-रघुनाथपुर
विकास-जलालाबाद (शाह0)

अनुलग्नक - 2
सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत रघुनाथपुर

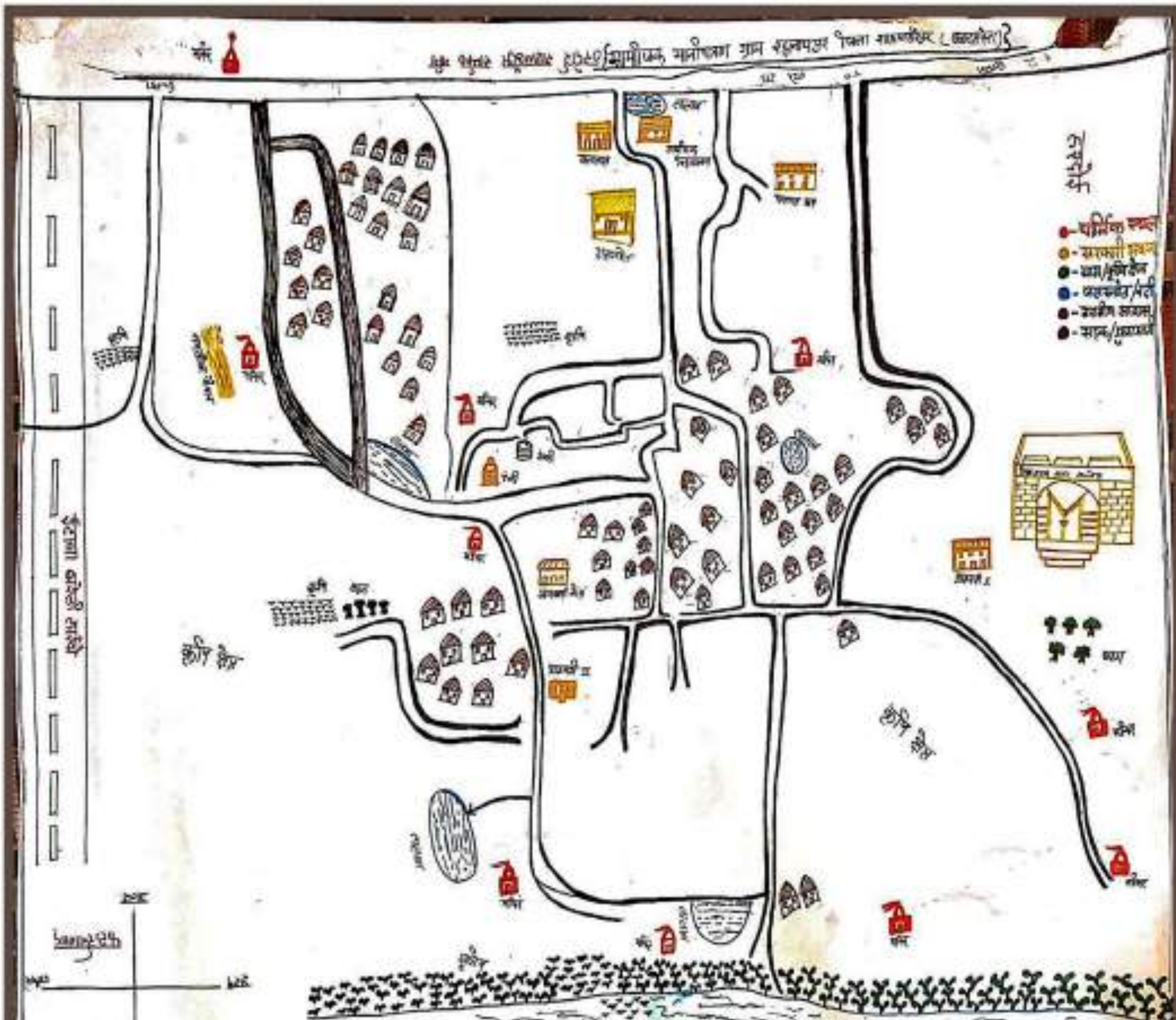

अनुलग्नक - 3
सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर

(i) उमेश कुमार
(ii) छिरौंजी लाल
(iii) मूरेलाल
(iv) सतीश
(v) दयाराम
(vi) श्री निवास
(vii) संतोष सिंह
(viii) रामबहादुर
(ix) सन्नू सिंह
(x) अमित कुमार
(xi) दिनेश सिंह
(xii) विपिन
(xiii) राजकुमार
(xiv) उमेश सिंह
(xv) रघुवीर
(xvi) राधेश्याम
(xvii) सुरेश सिंह
(xviii) प्रमोद कुमार
(xix) दीपक कुमार
(xx) सर्वेश सिंह
(xxi) राहुल
(xxii) देवेन्द्र सिंह
(xxiii) सुरेन्द्र
(xxiv) आदेश

(xxv) मंगलेश सिंह
(xxvi) शिवलेष
(xxvii) आशीष
(28) गौरव सिंह
(29) शीशपाल
(30) कुलदीप
(31) प्रमोद
(32) राहुल S/o रामवीर
(33) अरुण
(34) राहुल शुक्ला
(35) रोहित

2022

फोटो गैलरी

NMCG

National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti

GACMC

Ganga Aqualife Conservation
Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Chandrabani Dehradun - 248001
Uttarakhand, India

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India